न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/6194/2002/भरतपुर</u>

1. पन्नालाल
2. जौहरीलाल पुत्रगण चिरंजी
   समस्त जाति माली निवासी बीनारायन गेट, भरतपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र गेदा जाति माली निवासी सूरजपोल दरवाजा, भरतपुर

–प्रत्यर्थी

<u>खण्डपीठ</u>
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री जे.के. पारीक, अपीलार्थीगण
प्रत्यर्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 23.01.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06–09–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरार नम्बर 1277 का वादी व खसरा नम्बर 1280 का प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने सेटलमैन्ट में वादी के खसरा नम्बर 1277 से बने खसरा नम्बर 4335, 4335/5010 व 4348/5011 पर अपना नाम व खसरा नम्बर 1280 से बने खसरा नम्बर 4335, 4335/5003 पर वादी के नाम के अंकन गलत प्रकार से करा दिये है जबकि वादी ने सेटलमैन्ट में प्रतिवादी के हक में किसी प्रकार का राजीनामा नहीं दिया। सेटलमैन्ट को इस प्रकार से अंकन करने का अधिकार नहीं है। अतः वादीगण को खसरा नम्बर 4348, 4348/5010 व 4348/5011 का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित छः तनकियात कायम की गयी एवं उभय पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-03-2001 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 06-09-2002 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह मानते हुए कि सेटलमैन्ट विभाग ने मौके की स्थिति के अनुसार राजीनामें के आधार पर इन्द्राज करने में कोई गलती नहीं की है। यह तथ्य पूर्णतयाः कानूनी प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि सेटलमैन्ट विभाग को किसी की खातेदारी के इन्द्राज को बदलने का अधिकार नहीं है, उन्हें तो केवल मात्र पूर्व के इन्द्राज को दर्ज करने का अधिकार है। उनका कथन है कि सेटलमैन्ट विभाग द्वारा जो कार्यवाही की गयी है, वह पूर्णतयाः अवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि पर वादी अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है तथा विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार नहीं है, जो इन्द्राज प्रतिवादी के नाम किये गये है, वे पूर्णतयाः अवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। उनका कथन है कि सेटलमैन्ट विभाग में उनके पक्षकार की ओर से कोई राजीनामा नहीं दिया। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

5. हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1277 का वादी व खसरा नम्बर 1280 का प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने सेटलमैन्ट में वादी के खसरा नम्बर 1277 से बने खसरा नम्बर 4335, 4335/5010 व 4348/5011 पर अपना नाम व खसरा नम्बर 1280 से बने खसरा नम्बर 4335, 4335/5003 पर वादी के नाम के अंकन गलत प्रकार से करा दिये है जबकि वादी ने सेटलमैन्ट में प्रतिवादी के हक में किसी प्रकार का राजीनामा नहीं दिया। सेटलमैन्ट को इस प्रकार से अंकन करने का अधिकार नहीं है। अतः वादीगण को खसरा नम्बर 4348, 4348/5010 व 4348/5011 का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। तत्पश्चात् अपीलीय न्यायालय द्वारा भी वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य संयुक्त प्रार्थनापत्र चिरजीं पिता गेंदा व चिरंजी पिता दौजी प्रदर्श–ए–1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चिंरजी पिता दौजी वादी ने भू–प्रबन्ध विभाग के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित किया कि वह आराजी खसरा नम्बर 4348 का खातेदार दर्ज है जबकि मैने उक्त आराजी पर कभी भी काश्त नहीं की। उक्त खसरा नम्बर 4348 पर चिरंजी पिता गेंदा जाति माली साकिन सूरजपोल भरतपुर का ही कब्जा है और वही उस पर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर पर खातेदारी चिरंजी पिता गेंदा के नाम

दर्ज होने में मुझ चिरंजी पिता दौजी को व मेरे वारिसान को कोई एतराज नहीं है। मेरा कब्जा खसरा नम्बर 4335/24 एयर पर है और इसको हम पिछले 50 सालों से काश्त करते आ रहे है। अतः इसी को मेरी खातेदारी में दर्ज किया जावे। इसी तरह का इसी प्रार्थनापत्र में चिरंजी पिता गेंदा प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा भी अंकित किया है। उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के बाद चिरंजी पि0 दौजी के बयान भी दिनांक 23–9–1987 को लिये गये, जो प्रदर्श–ए–2 है, जिसमें भी उसने यह स्वीकार किया कि मैं खसरा नम्बर 4335/24एयर पर काबिज हूॅ एवं हाल खसरा नम्बर 4348 पर चिरंजी पि0 गेंदा माली साकिन सूरजपोल दरवाजा का कब्जा है और वही पिछले 50 साल से उक्त पर काश्त करते आ रहे है। खसरा नम्बर 4335 पर मेरी जगह चिरंजी पि0 गेंदा का नाम दर्ज किया जावे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसी तरह चिरंजी पि0 गेंदा के बयान लिये गये है, जो प्रदर्श–ए–3 है, उसने भी अपने बयानों में कहा कि मेरा कब्जा खसरा नम्बर हाल 4348 पर है और हाल खसरा नम्बर 4335 पर चिरंजी पि0 दोजी का कब्जा है। अतः खसरा नम्बर 4348 पर मेरा नाम दर्ज किया जावे तथा 4335 पर चिंरजी पि0 दौजी का नाम दर्ज किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में भू–प्रबन्ध विभाग ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत सहमति का प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्ता की ओर से दिये गये बयानों के मद्देनजर उभयपक्ष की बहस सुनकर आदेश दिनांक 23–09–1987 से ए0एस0ओ0 द्वारा विवादित आराजी बाबत् सहमति के आधार पर इन्द्राज परिवर्तन करने का आदेश पारित किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06-09-2002 एवं उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-03-2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य